पी
संख्या-04/14-2-2015-800(43)/2015

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन,
पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 21 मई, 2015

विषय- जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-719 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92) के किमी0 60.00 से 69.850 तक एस0एस0पी0 चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित अपने कार्यालय पत्र संख्या- 8बी/यूपी/06/12/2015/एफसी/133, दिनांक 11-5-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-719 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92) के किमी0 60.00 से 69.850 तक एस0एस0पी0 चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में 12 बिन्दुओं पर कतिपय पृच्छायें की गयी है।

2- उक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-2082/ऑनलाइन-इटावा/यूपी-029/2015, दिनांक 19 मई, 2015 के द्वारा उक्त कमियों का Manually correction कर संशोधित प्रस्ताव (एक प्रति) प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

21/5/15
(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

संख्या-04(1)/14-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-2082/ऑनलाइन-इटावा/यूपी-029/2015, दिनांक 19 मई, 2015 के संदर्भ में।
(2) अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राज्य मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा।
(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।